

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प अरेवा

289
28/5/18

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अरेवा व भू-अभिलेख निरीक्षक कल्याड़ेकी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अरेवा तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में खाता संख्या 131 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	अरेवा	131	भगवती गेदा, तालेकर मौली पि. नचोली हि. 4/5 जोग्याली केवा नचोली हि. 1/5 कैम्प चमार सा. दे. ना. नं. 603	भगवती, गेदा, तालेकर मौली पि. नचोली हि. 4/5 जोग्याली केवा नचोली हि. 1/5 कैम्प जायक सा. दे. ना. नं. 603.

(.....)
(उप खण्ड अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत, कैम्प

उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।